अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 1 :-	
23 4.10.2023	**न्यायालय उपायुक्त, रॉची** एस० ए० आर० अपील वाद सं० 17 आर० 15/2021–22 लखीदास मुण्डा उर्फ लखीनदास पातर मुण्डा उर्फ लखीदास पातर, पिता–बुधराम पातर मुण्डा, निवासी–शत्रुघनडीह, थाना–सोनाहातु जिला–राँची ..... अपीलकर्त्ता बनाम भरत महतो उर्फ राम गुलाम महतो पिता स्व० चामु महतो निवासी ग्राम तेलवाडीह (शत्रुघनडीह टोला), थाना सोनाहातु, जिला रॉची ..... उत्तरवादी आदेश प्रस्तुत अपील वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 215 के अन्तर्गत अपीलकर्त्ता ने विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची के द्वारा एस०ए०आर० वाद सं०16/2018–19 मे दिनांक 10.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची ने अपीलकर्त्ता के द्वारा उत्तरवादी के खिलाफ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के तहत्त मौजा तेलवाडीह, थाना सोनाहातु, थाना सं० 29, जिला रॉची के खाता सं० 49, प्लॉट सं० 143 रकबा 93 डी०, प्लॉट सं० 245 रकबा 63 डी०, प्लॉट सं० 246 रकबा 39 डी०, प्लॉट सं० 247 रकबा 45 डी०, प्लॉट सं० 249 रकबा 36 डी०, प्लॉट सं० 250 रकबा 73 डी०, प्लॉट सं० 382 रकबा 1 एकड़ 23 डी० एवं प्लॉट सं० 394 रकबा 1 एकड 51 डी० भूमि की वापसी हेतु दायर आवेदन को कालबाधित करार देते हुए खारिज कर दिया गया है। विगत तिथि को बार–बार पुकार करवाने के बावजूद अपीलकर्त्ता की ओर से इस अपील वाद मे अग्रतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुए। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्त्ता विगत कई तिथियों से इस अपील वाद मे उपस्थित नही हो रहे है। पुनः आज भी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे अब इस अपील वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है। अतः प्रस्तुत अपील वाद मे उत्तरवादी को सुनने के उपरान्त अंतिम आदेश हेतु	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 2 :-	
	निर्धारित किया गया। अपीलकर्त्ता के अनुसार–मौजा तेलवाडीह, थाना सोनाहातु, थाना सं० 29, जिला रॉची के खाता सं० 49, प्लॉट सं० 143 रकबा 93 डी०, प्लॉट सं० 245 रकबा 63 डी०, प्लॉट सं० 246 रकबा 39 डी०, प्लॉट सं० 247 रकबा 45 डी०, प्लॉट सं० 249 रकबा 36 डी०, प्लॉट सं० 250 रकबा 73 डी०, प्लॉट सं० 382 रकबा 1 एकड़ 23 डी० एवं प्लॉट सं० 394 रकबा 1 एकड़ 51 डी० भूमि आर० एस० खतियान मे हाराधन पातर वो डोमन पातर वो अर्जुन पातर सभी पिता मंगल पातर के नाम से बहिस्सा बराबर मोसोमात साधु, पति–सोहन पातर, एक हिस्सा कोम पातर साकिन देह, टोला–शत्रुघनडीह दर्ज है। उत्तरवादी के द्वारा आवेदित भूमि को छल प्रपंच कर अवैध रूप से दखल कब्जा किया गया है। उत्तरवादी का दावा है कि वे प्रश्नगत भूमि डीड सं० 1435 दिनांक 10.02.1967, डीड सं० 8097 दिनांक 26.08.1968 एवं डीड सं० 1972 दिनांक 20.02.1969 द्वारा प्राप्त किया है, परन्तु प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयतों की संयुक्त सम्पत्ति है तथा किसी भी एक खतियानी रैयत को सम्पूर्ण सम्पत्ति विक्रय करने का हक प्राप्त नही था। अपीलकर्त्ता अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा उनकी भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत्त गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को हस्तांतरण नही किया जा सकता है, इसलिए उपरोक्त कथित हस्तांतरण अवैध है तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत से बाधित है तथा उत्तरवादी के द्वारा आवेदित भूमि को छल–प्रपंच कर अवैध रूप से दखल कब्जा किया गया है। उत्तरवादी ने छल प्रपंच के द्वारा प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी अपने नाम से कायम करवाया लिया है। ॲनलाईन पंजी–।। में जमाबंदी दर्ज करने का आधार दर्ज नही है तथा लगान रसीद वर्ष 2005–06 से 2012–13 तक निर्गत दर्शाया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता वाद दायर करने से मात्र 7 वर्ष पूर्व बेदखल हुए है। अपीलकर्त्ता पातर मुण्डा है, जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन आदेश 2002 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के सदस्य के तौर पर सूचिबद्ध है, परन्तु उसके पूर्व मे माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय के द्वारा पारित विभिन्न न्यायोदशों मे पातर को अनुसूचित जनजाति का	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

,श का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 3 :-	
	सदस्य माना गया है। उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार– मौजा–तेलवाडीह, थाना–सोनाहातु, थाना सं० 29, जिला रॉची के खाता सं० 49 रिविजनल सर्वे खतियान में हाराधन पातर वो डोमन पातर वो अर्जुन पातर पिता मंगल पातर एवं मोसोमात साधु पति सोहन पातर के नाम से कायमी दर्ज है। उपरोक्त खतियानी रैयत डोमन पातर पिता मंगल पातर ने निबंधित पट्टा सं० 1435 वर्ष 1967 दिनांक 10.02.1967 के द्वारा मौजा तेलवाडीह, थाना सोनाहातु, थाना सं० 29, जिला रॉची के खाता सं० 49 प्लॉट सं० 249, रकवा 96 डिसमिल मध्ये 20 डिसमिल, प्लॉट सं० 250, रकवा 73 डिसमिल मध्ये 02 डिसमिल, प्लॉट सं० 248, रकवा 18 डिसमिल मध्ये 01 डिसमिल, प्लॉट सं० 245, रकवा 63 डिसमिल मध्ये 02 डिसमिल भूमि को भरत महतो उर्फ राम गुलाम महतो को हस्तांतरित कर दिया। अन्य खतियानी रैयत हाराधन पातर पिता–मंगल पातर के पुत्र गोवर्धन पातर पिता स्व० हाराधन पातर ने निबंधित डीड सं० 8097 दिनांक 26.08.1968 के द्वारा मौजा तेलवाडीह, थाना–सोनाहातु, थाना सं० 29, जिला रॉची के खाता सं० 49, प्लॉट सं० 143, रकवा 93 डिसमिल मध्ये 05 डिसमिल, प्लॉट सं० 246, रकवा 39 डिसमिल मध्ये 05 डिसमिल, प्लॉट सं० 249, रकवा 36 डिसमिल मध्ये 10 डिसमिल भूमि को भरत महतो उर्फ राम गुलाम महतो पिता स्व० धासु महतो को हस्तांतरित कर दिया। इसीप्रकार खतियानी रैयत अर्जुन पातर पिता–मंगल पातर के पुत्र बुधराम पातर ने निबंधित डीड सं० 1972 दिनांक 20.02.1969 के द्वारा मौजा तेलवाडीह, थाना सोनाहातु, थाना सं० 29, जिला रॉची के खाता सं० 49, प्लॉट सं० 244, रकवा 63 डिसमिल मध्ये 44 डिसमिल, प्लॉट सं० 246, रकवा 39 डिसमिल मध्ये 21 डिसमिल, प्लॉट सं० 248, रकवा 18 डिसमिल मध्ये 01 डिसमिल, प्लॉट सं० 294, रकवा 51 डिसमिल मध्ये 40 डिसमिल भूमि को भरत महतो उर्फ राम गुलाम महतो पिता धासु महतो को हस्तांतरित कर दिया। उत्तरवादी उपरोक्त भूमि को निबंधित पट्टा के माध्यम से प्राप्त करने के पश्चात उसपर दखलकार हुए एवं अंचल कार्यालय में नामान्तरण कराकर अपने नाम से लगातार मालगुजारी अदा करते चले आ रहे है। अपीलकर्त्ता के द्वारा भूमि बिकी के 53 वर्ष के	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 4 :-	
	पश्चात् विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष भू वापसी का वाद दायर किया है, जो कालबाधित है। सन् 1932 ई० के रिविजनल सर्वे खतियान में खाता सं० 49 मे खतियानी रैयत की जाति पातर के नाम से दर्ज है जो वर्ष प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण के समय अनुसूचित जनजाति के तौर पर सूचिबद्ध नही था। पातर मुण्डा को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के सदस्य के तौर पर सूचिबद्ध किया गया है। 2002 (3) JCR 25 (Jhr) (LANKESHWAR PATAR VERSUS FEKU MAHTO & ORS) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है कि Chotanagpur Tenancy Act, 1908, Section 71A–Restoration of land – On ground that sale deed was obtained fraudulently – Transfer made by father of the appellant – Not in contravention of the Act – Transfer made long before the Supreme Court declared Patar community as sub-caste of Munda – Respondent in continuous possession with absolute right, title and interest for more than 30 years – Rejection of restoration application moved in 1971 – Present application on ground that appellant was member of scheduled tribe not at all maintainable उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत को खतियानी रैयत एवं उनके वंशजो के द्वारा क्रमशः वर्ष 1967, 1968 एवं 1969 ई० मे निष्पादित निबंधित पट्टे के माध्यम से हस्तांतरित किया गया है, जो पातर को मुण्डा जनजाति के उप–सदस्य के तौर पर मान्यता प्रदान करने के पूर्व का है। इस संबंध में 2002 (3) JCR 25 (Jhr) (LANKESHWAR PATAR VERSUS FEKU MAHTO & ORS) मे माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त न्यायादेश मे आयोजित किया गया है कि Transfer made by father of the appellant–Not in contravention of the Act – Transfer made long before the Supreme Court declared Patar community as sub-caste of Munda उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तरवादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से बाधित नही है तथा विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू, राँची के द्वारा एस०ए०आर०	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	:- 5 :-	
	वाद सं०16/2018–19 मे दिनांक 10.03.2021 को पारित आदेश में हस्ताक्षेप करने का कोई आधार नही बनता है। अतः यह अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है तथा विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची के द्वारा एस०ए०आर० वाद सं०16/2018–19 मे दिनांक 10.03.2021 को पारित आदेश को बहाल रखा जाता है। इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त रॉची लेखपित एवं संशोधित उपायुक्त रॉची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 02:10:56 -08:00
Location: 192.168.1.4